मनोरंजन कर विभाग

12- The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes

प्रदेश में छविगृह निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये एवं इस उद्योग को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा सिनेमा को शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग–6 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 1151 / 77–6–99, दिनांक 22.5.1999 द्वारा उद्योग का दर्जा दिया गया है इस प्रकार उद्योग को उपलब्ध समस्त सुविधायें उन्हें भी प्रदान की जा रही है।

2– **छविगृहों का उच्चीकरण योजना–** शासनादेश संख्या–952/11–क.स.वि.–6–99– 20 (एम)/124/97, दिनांक 03.11.1999 के द्वारा वर्तमान छविगृहों को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से छविगृहों में वातानुकूलन/वायुशीतन, जनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारे फर्नीचर बदलने एवं फाल्स सीलिंग बदलने वाले छविगृहों को उक्त मद में निवेश की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान निवेश की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत प्राप्त होने तक इस शर्त के साथ दिये जाने का प्राविधान किया गया है कि संबंधित छविगृह पूर्व वर्ष में एकत्रित मनोरंजन कर के बराबर राजस्व राजकीय कोषागार में जमा करने के पश्चात उसके ऊपर एकत्र की गयी मनोरंजन कर की धनराशि निवेश की 50 प्रतिशत सीमा तक अनुदान के रूप में अपने पास रख सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले छविगृह को अनुरक्षण प्रभार वसूल करने से मनाही नहीं है। अनुदान की राशि लेखा संक्रमण द्वारा प्रदान की जायेगी। यदि किसी माह में पूर्व वर्ष के उसी माह की तुलना में कम कर एकत्रित एवं जमा होता है तो उस कमी को गत वर्ष के अगले माह में एकत्रित मनोरंजन कर में जोड़ दिया जायेगा और उस योग से इस वर्ष संदर्भित माहों में एक़त्रित मनोरंजन कर की अधिक एकत्रित धनराशि को ही अनुदान के रूप में समायोजित किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व वर्ष का तात्पर्य उच्चीकरण कराये जाने के समय से ठीक पहले के 12 महीने होंगे। यदि सिनेमा स्वामी स्वीकृत अनुदान की राशि एक वर्ष में प्राप्त न कर पायें तो आगामी वर्ष के लिए (अनुदान की राशि पूरी होने तक) पूर्व वर्ष उच्चीकरण कार्य करने के ठीक पहले के 12 महीने ही होंगे।

वापस मुख्य पृष्ठ